



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 3-2021] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 19, 2021 (PAUSA 29, 1942 SAKA)

PART - I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 जनवरी, 2021

संख्या 2/1/2008-1पर्या.— जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम 6) की धारा 12 की उपधारा (3) तथा (3क) तथा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का अधिनियम 14), की धारा 14 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (ग्रुप क, ख, ग तथा घ) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

भाग ।

सामान्य

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ	1. (क) ये विनियम हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (ग्रुप क, ख, ग तथा घ) सेवा नियम, 2021 कहे जा सकते हैं। (ख) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
परिभाषाएं	2. इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— (क) “बोर्ड” से अभिप्राय है, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम 6) तथा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14), की धारा 14 की उप-धारा (4) के अधीन गठित हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; (ख) “अध्यक्ष” से अभिप्राय है, बोर्ड का अध्यक्ष; (ग) “सदस्य सचिव” से अभिप्राय है, बोर्ड का सदस्य सचिव; (घ) “आयोग” से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, जैसी भी स्थिति हो; (ङ) “शीतलन अवधि” से अभिप्राय है, दो वर्ष की अवधि, जिसमें सरकारी कर्मचारी या केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का कर्मचारी, हरियाणा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड में प्रतिनियुक्ति से उसकी वापसी के बाद उधार विभाग या केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड में कार्य करता है;

	(च) “प्रतिनियुक्ति” से अभिप्राय है, विशिष्ट नियमों और शर्तों के साथ सीमित अवधि के लिए हरियाणा सरकार या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारी की हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में नियुक्ति। (छ) “सीधी भर्ती” से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो; (ज) “सरकार” से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा सरकार; (झ) “संस्था” से अभिप्राय है,— (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; अथवा (ii) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था; (ट) “मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय” से अभिप्राय है— (i) भारत में विधि द्वारा नियमित कोई विश्वविद्यालय; अथवा (ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन विनियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया हो; (ठ) “प्रतिष्ठित संस्था” से अभिप्राय है, सरकारी, अर्ध-सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम; (ड) “प्रशासकीय सचिव” से अभिप्राय है, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग, (ढ) “सेवा” से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (गुप क, ख, ग और घ) सेवा।
भाग II सेवा में भर्ती	
पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप	3. सेवा में इन विनियमों के परिशिष्ट ‘क’ में दर्शाए गए पद होंगे: परन्तु इन विनियमों में कुछ भी बोर्ड के अंतर्निहित अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें ऐसे पद की संख्या, या कटौती, विभिन्न पदनाम और वेतनमान के साथ नए पद सृजित करने के लिए या तो स्थायी या अस्थायी रूप से प्रभावित होंगे।
सेवा में भर्ती किए गए उम्मीदारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र	4. (i) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,— (क) भारत का नागरिक; या (ख) नेपाल की प्रजा; या (ग) भूटान की प्रजा; या परन्तु प्रवर्ग (ख) या (ग) से सम्बन्धित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो। (ii) कोई भी व्यक्ति जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण—पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव केवल उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण—पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है। (iii) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण—पत्र तथा दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भांति परिचित हों और उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, से उसी प्रकार का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न करें।
आयु	5. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो निर्धारित तिथि पर या सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशानुसार, अठारह वर्ष की आयु से कम अथवा बयालीस वर्ष की आयु से अधिक का न हो, परन्तु,— (क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, तथा भिन्न प्रकार से निःशक्तजनों और अन्य से सम्बन्धित व्यक्तियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा ऐसी होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए; और

	(ख) अपेक्षित योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के मामले में, जो पहले से ही सरकार/बोर्ड/निगम में सेवारत हों, की ऊपरी आयु सीमा ऐसी होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए।
नियुक्ति प्राधिकारी	6. सेवा में पदों पर नियुक्ति इन विनियमों के परिशिष्ट 'ग' के खाना-3 में यथा-विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।
योग्यताएं तथा अनुभव	7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह सीधी भर्ती के मामले में इन विनियमों के परिशिष्ट 'ख' के खाना-3 में और सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के मामले में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना-4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो;
अयोग्यताएं	8. कोई भी व्यक्ति,— (क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या (ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के लागू होने से छूट दे सकती है।
भर्ती का ढंग	9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,— ग्रुप 'क' (क) वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता के मामले में,— (i) पर्यावरण अभियन्ता में से पदोन्नति द्वारा; (ii) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य नियम और शर्तों पर, नियत अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ख) वरिष्ठ वैज्ञानिक के मामले में,— (i) दो पद वैज्ञानिक 'ग' में से पदोन्नति द्वारा; (ii) दो पद डेटा और एनालिटिक्स सैल के लिए, प्रतिनियुक्ति द्वारा; (iii) पांच पद प्रतिनियुक्ति द्वारा; क. एक वायु गुणवत्ता विशेषज्ञ, ख. चार जल गुणवत्ता, अपशिष्ट प्रबंधन, प्रकृति संरक्षण और विष-विज्ञान विशेषज्ञ। (ग) पर्यावरण अभियन्ता के मामले में:— (i) 100 प्रतिशत सहायक पर्यावरण अभियन्ता में से पदोन्नति द्वारा; और (ii) हरियाणा सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा; (घ) वैज्ञानिक 'सी' के मामले में:— (i) 100 प्रतिशत वैज्ञानिक 'बी' में से पदोन्नति द्वारा; और (ii) हरियाणा सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ङ) जिला न्यायवादी के मामले में:— अभियोजन विभाग, हरियाणा से प्रतिनियुक्ति द्वारा। (च) डेवलपमेंट टीम लीडर के मामले में:— सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हरियाणा से प्रतिनियुक्ति द्वारा। ग्रुप 'ख' (छ) वरिष्ठ लेखा अधिकारी के मामले में:— वित्त विभाग, हरियाणा से प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ज) लेखा अधिकारी के मामले में:— वित्त विभाग, हरियाणा से प्रतिनियुक्ति द्वारा।

	(झ) प्रशासकीय अधिकारी के मामले में:— (i) अधीक्षक/निजी सचिव में से पदोन्नति द्वारा; या (ii) राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानांतरण द्वारा; (iii) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य नियम और शर्तों पर, नियत अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ञ) वैज्ञानिक 'बी' के मामले में:— (i) 50 प्रतिशत वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में से पदोन्नति द्वारा; और (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; या (iii) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य नियम और शर्तों पर, नियत अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ट) सहायक पर्यावरण अभियन्ता के मामले में:— (i) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; और (ii) 25 प्रतिशत कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ताओं में से पदोन्नति द्वारा; या (iii) राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही कार्यरत किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ठ) तहसीलदार के मामले में:— राजस्व विभाग, हरियाणा से प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ड) उप-जिला न्यायवादी के मामले में:— अभियोजन विभाग, हरियाणा से प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ढ) सॉफ्टवेयर डेवलपर के मामले में:— (i) जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर में से पदोन्नति द्वारा; या (ii) स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ण) अधीक्षक के मामले में:— (i) उप-अधीक्षक/सहायक/लेखाकार में से पदोन्नति द्वारा; या (ii) राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही कार्यरत किसी अधिकारी के स्थानांतरण द्वारा; (iii) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य नियम और शर्तों पर, नियत अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा; (त) निजी सचिव के मामले में:— (i) निजी सहायकों में से पदोन्नति द्वारा; और (ii) राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही कार्यरत किसी अधिकारी के स्थानांतरण द्वारा; (iii) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य नियम और शर्तों पर, नियत अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा; (थ) सहायक जिला न्यायवादी के मामले में:— अभियोजन विभाग, हरियाणा से प्रतिनियुक्ति द्वारा। (द) जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के मामले में:— सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हरियाणा से प्रतिनियुक्ति द्वारा।
ग्रुप 'ग'	(ध) अनुभाग अधिकारी (लेखा) के मामले में:— वित्त विभाग, हरियाणा से प्रतिनियुक्ति द्वारा। (न) उप-अधीक्षक के मामले में:— (i) सहायकों/लेखाकारों में से पदोन्नति द्वारा; या (ii) राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही कार्यरत किसी अधिकारी के स्थानांतरण द्वारा; (iii) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य नियम और शर्तों पर, नियत

	अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा;
(प)	निजी सहायक के मामले में:—
(i)	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा; या
(ii)	राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही कार्यरत किसी अधिकारी के स्थानांतरण द्वारा;
(iii)	सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य नियम और शर्तों पर, नियत अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा।
(फ)	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के मामले में:—
(i)	75 प्रतिशत कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में से पदोन्नति द्वारा; और
(ii)	25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; या
(iii)	सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य नियम और शर्तों पर, नियत अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा।
(ब)	कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता के मामले में:—
(i)	सीधी भर्ती द्वारा; और
(ii)	सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य नियम और शर्तों पर, नियत अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा।
(भ)	सांख्यिकीय सहायक के मामले में:—
(i)	सीधी भर्ती द्वारा; या
(ii)	सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य नियम और शर्तों पर, नियत अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा।
(म)	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के मामले में:—
(i)	सीधी भर्ती द्वारा; या
(ii)	सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य नियम और शर्तों पर, नियत अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा।
(य)	सहायक के मामले में:—
(i)	लिपिक/आशुटंकक/लेखालिपिकों में से पदोन्नति द्वारा; या
(ii)	राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही कार्यरत किसी अधिकारी के स्थानांतरण द्वारा ;
(iii)	सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य नियम और शर्तों पर, नियत अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा।
(कक)	लेखाकार के मामले में:—
(i)	50 प्रतिशत लेखा लिपिकों/लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा; और
(ii)	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; या
(iii)	सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य नियम और शर्तों पर, नियत अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा।
(कख)	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के मामले में:—
(i)	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा; या
(ii)	राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही कार्यरत किसी अधिकारी के स्थानांतरण द्वारा;
(iii)	सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य नियम और शर्तों पर, नियत अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा।
(कग)	चालक के मामले में:—
(i)	सीधी भर्ती द्वारा; या
(ii)	सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य नियम और शर्तों पर, नियत अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा।
(कघ)	कनिष्ठ आशुलिपिक के मामले में:—
(i)	75 प्रतिशत आशुटंककों में से पदोन्नति द्वारा; और
(ii)	25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; या
(iii)	सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य नियम और शर्तों पर,

	नियत अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा। (कड़) लेखा लिपिक के मामले में:— (i) 50 प्रतिशत लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा; या (ii) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य नियम और शर्तों पर, नियत अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा। (कच) आशुटंककों के मामले में:— (i) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; और (ii) 25 प्रतिशत लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा; या (iii) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य नियम और शर्तों पर, नियत अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा। (कछ) लिपिकों के मामले में:— (i) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; और (ii) 20 प्रतिशत ग्रुप 'ग' या ग्रुप 'घ' कर्मचारियों, जिनका वेतनमान तथा जिम्मेवारी लिपिक से कम है, में से पदोन्नति द्वारा; (iii) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य नियम और शर्तों पर, नियत अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा। (कज) प्रयोगशाला परिचर के मामले में:— (i) 80 प्रतिशत ग्रुप 'घ' कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा; (ii) 20 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; या (iii) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य नियम और शर्तों पर, नियत अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा। ग्रुप 'घ' (कझ) वरिष्ठ सेवादार के मामले में:— (i) सेवादारों में से पदोन्नति द्वारा; या (ii) राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही कार्यरत किसी अधिकारी के स्थानांतरण द्वारा; (iii) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य नियम और शर्तों पर, नियत अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा। (कञ) दफ्तरी के मामले में:— (i) सेवादारों में से पदोन्नति द्वारा; या (ii) राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही कार्यरत किसी अधिकारी के स्थानांतरण द्वारा; (iii) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य नियम और शर्तों पर, नियत अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा। (कट) सेवादार के मामले में:— (i) सीधी भर्ती द्वारा; या (ii) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य नियम और शर्तों पर, नियत अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा। (कठ) क्षेत्रीय परिचर के मामले में:— (i) सीधी भर्ती द्वारा; या (ii) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य नियम और शर्तों पर, नियत अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा। (2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, ज्येष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर की जाएंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नति के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। (3) जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, जब भी सेवा में कोई भी रिक्ति होती है अथवा होने वाली होती है, तो नियुक्ति प्राधिकारी निर्धारित करेगा कि ऐसी रिक्ति किस ढंग से भरी जायेगी।
--	---

कम्प्यूटर एप्रीसिएशन तथा एप्लीकेशन (एस.ई.टी.सी.) में राज्य पात्रता परीक्षा	10. (1) लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठ आशुलिपिकों और वरिष्ठ आशुलिपिकों हेतु सेवा की आवश्यकताओं के भाग के रूप में टंकण परीक्षा को कम्प्यूटर एप्रीसिएशन एवं एप्लीकेशन (एस.ई.टी.सी.) से प्रतिस्थापित किया गया है। कम्प्यूटर एप्रीसिएशन एवं एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) पद की अपेक्षित शर्त/अर्हता होगी। नए भर्ती/नियुक्त किए गए लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठ आशुलिपिकों तथा वरिष्ठ आशुलिपिकों को एस.ई.टी.सी. परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इसके अतिरिक्त आशुटंककों, कनिष्ठ आशुलिपिकों तथा वरिष्ठ आशुलिपिकों को आशुलिपि की पात्रता अर्जित करनी होगी। (2) सीधी भर्ती के मामले में उम्मीदवार को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, के अन्दर हार्दोन द्वारा संचालित कम्प्यूटर एप्रीसिएशन तथा एप्लीकेशन (एस.ई.टी.सी.) में राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। ग्रुप 'ग' में पदों की उपरोक्त श्रेणियों के समक्ष नियुक्त उम्मीदवार तब तक अपने वेतनमान में कोई वृद्धि अर्जित करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता। लिपिक, कनिष्ठ या वरिष्ठ आशुलिपिक के पद पर पदोन्नत किए गए कर्मचारियों, जिन्होंने एस.ई.टी.सी. की परीक्षा पहले से उत्तीर्ण नहीं की है, को भी एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, के अन्दर यह परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी जिसमें असफल रहने पर उसे पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा। (3) यदि कोई लिपिक एस.ई.टी.सी. भाग-। (कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा) से छूट चाहता है तो वह अनुमोदित स्रोत/अधिकृत एजेंसियों अर्थात् हार्दोन, एच.के.सी.एल., एन.आई.ई. एल.आई.टी. इत्यादि से अनिवार्य कम्प्यूटर ज्ञान प्रमाण पत्र (सरकार के निर्देश संख्या 42/164/2008-3जी.एस.-II दिनांक 07.11.2013 तथा सम संख्या दिनांक 22.09.2017 में वर्णित) अर्जित कर सकता है।
परिवीक्षा	11. (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा। परन्तु:- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा अवधि के रूप में गिनी जाएगी; (ख) स्थानांतरण द्वारा किसी नियुक्ति के मामले में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले, किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस विनियमन के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि के रूप में गिनने की अनुमति दी जा सकती है; और (ग) कार्यवाहक नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किंतु कोई भी व्यक्ति, जिसने ऐसे कार्यवाहक के रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी नियमित पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा। (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह,- (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से हटा सकता है; और (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,- (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या (ii) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जिसकी उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तों में अनुमति हो। (3) यदि व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर नियुक्त प्राधिकारी,- (क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी नियमित रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किया गया हो, तो उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

	(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो, तो,— (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से हटा सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जिसकी उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तों में अनुमति हो; या (ii) उसकी परीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह परीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था: परन्तु परीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
ज्येष्ठता	12. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उसके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी: परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जायेगी: परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों के मामले में ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता-क्रम भंग नहीं किया जायेगा: परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या उससे अधिक सदस्यों के मामले में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी,— (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा; (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा; (ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों के मामले में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किए गए थे; और (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों के मामले में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी ज्येष्ठता उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य आयु में छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।
सेवा करने का दायित्व	13. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्त प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर ऐसा करने के लिए दायी होगा। (2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,— (i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास हो, हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय; (ii) केन्द्र सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्र सरकार के पास हो; या (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो या निजी निकाय; परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) अथवा खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्र या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

वेतन, छुट्टी पेंशन तथा अन्य मामले	14. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा ऐसे सभी अन्य मामलों के संबंध में, जिनका इन विनियमों में स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य, ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा शासित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये अथवा बनाये गये हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाये जायें: परन्तु हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान तथा अवकाश नकदीकरण के सिवाय) ऐसे सेवा के सदस्यों पर लागू नहीं होंगे, जो प्रथम जनवरी, 2006 को या उसके बाद सेवा में नियुक्त किए गए हैं।
आचरण अनुशासन, शास्तियां तथा अपील	15. (1) आचरण, अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से संबंधित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा-संशोधित हरियाणा सिविल सेवाएं (सरकारी कर्मचारियों का आचरण) नियम, 2016 तथा हरियाणा सिविल सेवाएं (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 द्वारा शासित होंगे; परन्तु लगाई जाने वाली ऐसी शास्तियों का स्वरूप, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि अथवा नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वे होंगे जो इन विनियमों के परिशिष्ट 'ग' में विनिर्दिष्ट हैं। (2) उपरोक्त उप-खण्ड (1) के अधीन आदेश पारित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी वही होगा, जो इन विनियमों के परिशिष्ट 'ग' में विनिर्दिष्ट है।
टीकाकरण	16. सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं का टीकाकरण करवाएगा तथा जब कभी सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, पुनः टीकाकरण करवाएगा।
राजनिष्ठा की शपथ	17. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा-स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।
ढील देने की शक्ति	18. जहां बोर्ड की राय में, इन विनियमों के किसी उपबंध में ढील देना आश्यक या समीचीन हो, वहां वह लिखित रूप में कारण देकर आदेश द्वारा सरकार के अनुमोदन से व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकता है।
विशेष उपबन्ध	19. इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो ऐसा कर सकता है।
आरक्षण	20. अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, खिलाड़ियों तथा निःशक्तजनों के लिए पदों पर नियुक्ति का आरक्षण उस सीमा तक किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उसके अधीन सेवा में किया जाता है।
निरसन तथा व्यावृत्ति	21. सेवा के लिए लागू कोई विनियम और इन विनियमों का कोई अनुरूप विनियम, जो इन विनियमों के लागू होने से तत्काल पहले प्रभावी है, एतद् द्वारा निरसित किया जाता है। परन्तु इस प्रकार निरसित विनियमों के अधीन दिया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाई, इन विनियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन दिया गया आदेश अथवा की गई कार्यवाई समझी जाएगी।

परिशिष्ट 'क'
(देखिए विनियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
ग्रुप - 'क'			
1	वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता	6	लेवल 14, 118500-207900 रुपये
2	वरिष्ठ वैज्ञानिक	9	लेवल 14, 118500-207900 रुपये
3	पर्यावरण अभियन्ता	33	लेवल 11, 67700-191000 रुपये
4	वैज्ञानिक- 'सी'	10	लेवल 11, 67700-191000 रुपये
5	जिला न्यायवादी	1	अभियोजन विभाग, हरियाणा से उसके अपने वेतनमान में प्रतिनियुक्ति द्वारा
6	डेवलपमेंट टीम लीडर	1	लेवल 11, 67700-191000 रुपये
ग्रुप - 'ख'			
7	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	1	वित्त विभाग, हरियाणा से उसके अपने वेतनमान में प्रतिनियुक्ति द्वारा
8	लेखा अधिकारी	1	वित्त विभाग, हरियाणा से उसके अपने वेतनमान में प्रतिनियुक्ति द्वारा
9	प्रशासकीय अधिकारी	1	लेवल 9, 53100-167800 रुपये
10	उप-जिला न्यायवादी	1	अभियोजन विभाग, हरियाणा से उप-जिला न्यायवादी/सहायक जिला न्यायवादी में से उसके अपने वेतनमान में प्रतिनियुक्ति द्वारा
11	वैज्ञानिक- 'बी'	40	लेवल 9, 53100-167800 रुपये
12	सहायक पर्यावरण अभियन्ता	92	लेवल 9, 53100-167800 रुपये
13	सॉफ्टवेयर डेवलपर	1	लेवल 9, 53100-167800 रुपये
14	तहसीलदार	1	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग, हरियाणा से उसके अपने वेतनमान में प्रतिनियुक्ति द्वारा
15	अधीक्षक	4	लेवल 7, 44900-142400 रुपये
16	निजी सचिव	2	लेवल 7, 44900-142400 रुपये
17	सहायक जिला न्यायवादी	3	अभियोजन विभाग, हरियाणा से उसके अपने वेतनमान में प्रतिनियुक्ति द्वारा
18	जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर	2	लेवल 7, 44900-142400 रुपये
ग्रुप - 'ग'			
19	अनुभाग अधिकारी	1	वित्त विभाग, हरियाणा से उसके अपने वेतनमान में प्रतिनियुक्ति द्वारा

20	उप-अधीक्षक	4	लेवल 6, 35400-112400 रुपये
21	सांख्यिकीय सहायक	1	लेवल 6, 35400-112400 रुपये
22	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	7	लेवल 6, 35400-112400 रुपये
23	कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता	25	लेवल 6, 35400-112400 रुपये
24	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	10	लेवल 6, 35400-112400 रुपये
25	निजी सहायक	1	लेवल 6, 35400-112400 रुपए
26	सहायक	46	लेवल 6, 35400-112400 रुपये
27	लेखाकार	4	लेवल 6, 35400-112400 रुपये
28	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	4	लेवल 6, 35400-112400 रुपये
29	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	3	लेवल 4, 25500-81100 रुपये
30	लेखा लिपिक	2	लेवल 4, 25500-81100 रुपये
31	चालक	17	लेवल 4, 25500-81100 रुपये
32	आशुटंकक	8	लेवल 2, 19900-63200 + 100 रुपये विशेष वेतन
33	लिपिक	46	लेवल 2, 19900-63200 रुपये
34	प्रयोगशाला परिचर	10	लेवल 2, 19900-63200 रुपये
ग्रुप - 'घ'			
35	वरिष्ठ सेवादार	2	डी एल - 16900-53500 रुपये
36	दफ्तरी	1	डी एल - 16900-53500 रुपये
37	सेवादर	51	डी एल - 16900-53500 रुपये
38	क्षेत्र परिचर	22	डी एल - 16900-53500 रुपये
39	माली एवं चौकीदार	2	डी एल - 16900-53500 रुपये
40	सफाई कर्मचारी	1	डी एल - 16900-53500 रुपये

परिशिष्ट 'ख'
(देखिए विनियम 7)

क्रम संख्या	पद का नाम	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता	---	पदोन्नति द्वारा (i) बोर्ड में पर्यावरण अभियन्ता के रूप में सात वर्ष का अनुभव या पर्यावरण अभियन्ता तथा सहायक पर्यावरण अभियन्ता के रूप में कुल सोलह वर्ष का संयुक्त अनुभव, बशर्ते कि उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग में या उसके समकक्ष नियमित पूर्णकालिक डिग्री हो। (ii) उपरोक्त (i) में दिए अनुसार निर्धारित योग्यता के साथ राज्य सरकार में कार्यरत अधीक्षक अभियन्ता से प्रतिनियुक्ति द्वारा।
2	वरिष्ठ वैज्ञानिक	---	पदोन्नति द्वारा (दो पद) (i) बोर्ड में वैज्ञानिक 'सी' के रूप में सात वर्ष का अनुभव या वैज्ञानिक 'सी' तथा वैज्ञानिक 'बी' के रूप में कुल सोलह वर्ष का संयुक्त अनुभव; बशर्ते कि उम्मीदवार के पास विज्ञान में नियमित पूर्णकालिक डिग्री तथा स्नातकोत्तर डिग्री हो। प्रतिनियुक्ति द्वारा (डाटा एवं विश्लेषक) (दो पद) : (i) कम्प्यूटर विज्ञान तथा एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित गणित सांख्यिकी/भौतिकी/कार्यात्मक अनुसन्धान में एम. एस.सी. अथवा एम.सी.ए./बी.ई. या कम्प्यूटर साइंस में बी.टैक तथा सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम /प्रतिष्ठित सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी में कम्प्यूटर प्रोग्रामर के रूप में आठ वर्ष का अनुभव। प्रतिष्ठा प्रमाण-पत्र सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हरियाणा द्वारा प्राप्त किया गया हो /प्रमाणित कराना चाहिए। वांछनीय : उम्मीदवार के पास मोबाइल सॉफ्टवेयर (आई.ओ.एस./एन्ड्रॉयड) और वैब एप विकास तथा ऑनलाइन डाटा बेस प्रबन्धन तथा नवीनतम आई.टी. एप्लीकेशन

			और नेटवर्क का ज्ञान होना चाहिए। प्रतिनियुक्ति द्वारा (पांच पद) : (वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता, अपशिष्ट प्रबन्धन, प्राकृतिक संरक्षक तथा विष-विज्ञान के क्षेत्र से एक-एक विशेषज्ञ): (क) वायु गुणवत्ता विशेषज्ञ (एक) : सरकारी/अर्ध-सरकारी अनुसन्धान संस्थान में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन में फेलोशिप सहित पीएच.डी. या इसके समकक्ष डिग्री के साथ एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर होना चाहिए। (ख) जल गुणवत्ता विशेषज्ञ (एक) : पर्यावरण विज्ञान/जीव विज्ञान तथा सम्बद्ध विषय/रसायन/भौतिकी/जैव प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव विज्ञान में पीएच.डी. डिग्री/इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री के साथ सम्बन्धित क्षेत्र में पन्द्रह वर्ष के अनुभव के साथ एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर होना चाहिए। (ग) अपशिष्ट प्रबन्धन विशेषज्ञ (एक) : पूर्ण पीएच.डी. या इसके समकक्ष डिग्री के साथ अपशिष्ट प्रबन्धन में फेलोशिप सहित प्रतिष्ठित अनुसन्धान संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर होना चाहिए। (घ) संरक्षण विशेषज्ञ (एक) : पूर्ण पीएच.डी. या इसके समकक्ष डिग्री के साथ संरक्षणकर्ता के रूप में फेलोशिप सहित प्रतिष्ठित अनुसन्धान संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर होना चाहिए। (ङ) विष-विज्ञान विशेषज्ञ (एक) : पूर्ण पीएच.डी. या इसके समकक्ष डिग्री के साथ विष-विज्ञान में फेलोशिप सहित प्रतिष्ठित अनुसन्धान संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर होना चाहिए।
3	पर्यावरण अभियन्ता	---	पदोन्नति द्वारा : इंजीनियरिंग में नियमित पूर्ण कालिक स्नातक डिग्री के साथ बोर्ड में सहायक पर्यावरण अभियन्ता के रूप में कम से कम नौ वर्ष का अनुभव। प्रतिनियुक्ति द्वारा (i) सिविल/कैमिकल/पर्यावरण इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में मास्टर डिग्री के साथ केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड या सरकार में किसी समकक्ष पद पर

			कम से कम सात वर्ष का अनुभव। अथवा सिविल/पर्यावरण/कैमिकल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में नियमित पूर्णकालिक स्नातक डिग्री के साथ केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड या सरकार में किसी समकक्ष पद पर कम से कम नौ वर्ष का अनुभव।
4	वैज्ञानिक—'सी'	---	पदोन्नति द्वारा: (i) कम से कम एम.एससी. योग्यता के साथ बोर्ड में वैज्ञानिक—'बी' के रूप में कम से कम नौ वर्ष की सेवा। प्रतिनियुक्ति द्वारा (i) रसायन विज्ञान/पर्यावरण विज्ञान (विज्ञान में डिग्री सहित)/ सूक्ष्म जीव विज्ञान/ जैव रसायन विज्ञान में पीएच.डी. के साथ केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड या सरकार में किसी समकक्ष पद पर सात वर्ष का अनुभव। अथवा रसायन विज्ञान/ पर्यावरण विज्ञान/सूक्ष्म जीव विज्ञान/ जैव रसायन विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी में एम.एससी./कैमिकल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में डिग्री के साथ केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड या सरकार में कम से कम नौ वर्ष का अनुभव।
5.	जिला न्यायवादी		प्रतिनियुक्ति द्वारा : जैसा मूल विभाग में लागू है।
6	डेवलपमेंट टीम लीडर	---	प्रतिनियुक्ति द्वारा : (i) सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की क्षमता में कम से कम चार वर्ष के अनुभव सहित सॉफ्टवेयर विकास संकाय में कम से कम दस वर्ष का अनुभव। अथवा (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों सहित बी.सी.ए., बी.एससी. (सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर विज्ञान/ एप्लीकेशन/इलैक्ट्रॉनिक्स तथा संचार): और (iii) कम से कम चौदह वर्ष का अनुभव जिसमें से चार वर्ष का अनुभव सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर या समकक्ष के स्तर पर हो। (परामर्शी आधार पर लगे पदधारक को छूट दी जाएगी)। (iv) कम से कम चौदह वर्ष का अनुभव जिसमें से चार वर्ष का अनुभव सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर या समकक्ष के स्तर पर हो।

			टिप्पणी: अपवाद के रूप में, उपरोक्त यथा-वर्णित अनुभव के साथ किसी अन्य विषय में योग्यता वाले उम्मीदवार पर भी पद के लिए विचार किया जा सकता है। अधिमान उन उम्मीदवारों को दिया जाएगा जिनके पास उच्चतर योग्यताएं तथा परिशिष्ट 'ख' में यथा-वर्णित उन्नत प्रमाणीकरण हों।
ग्रुप - 'ख'			
7.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	जैसा मूल विभाग में लागू है	प्रतिनियुक्ति द्वारा : जैसा मूल विभाग में लागू है
8.	लेखा अधिकारी	जैसा मूल विभाग में लागू है	प्रतिनियुक्ति द्वारा जैसा मूल विभाग में लागू है
9.	प्रशासकीय अधिकारी	---	पदोन्नति द्वारा : अधीक्षक/निजी सचिव के रूप में तीन वर्ष का अनुभव। अधीक्षक और निजी सचिव की वरिष्ठता पद पर सेवा की अवधि के आधार पर निर्धारित की जाएगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा तीन वर्ष के अनुभव के साथ हरियाणा सचिवालय सेवा के अधीक्षक के समकक्ष संवर्ग से प्रतिनियुक्ति पर।
10.	उप-जिला न्यायवादी		प्रतिनियुक्ति द्वारा जैसा मूल विभाग में लागू है
11.	वैज्ञानिक- 'बी'	रसायन विज्ञान/ जैव प्रौद्योगिकी/ सूक्ष्म जीव-विज्ञान/ जैव रसायन विज्ञान/ पर्यावरण विज्ञान (विज्ञान में स्नातक डिग्री सहित) में प्रथम श्रेणी में एम.एससी.।	पदोन्नति द्वारा : बोर्ड में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा। प्रतिनियुक्ति द्वारा : रसायन विज्ञान/ पर्यावरण विज्ञान (विज्ञान में डिग्री सहित) /वनस्पति विज्ञान /सूक्ष्म जीव-विज्ञान/ जैव रसायन विज्ञान में प्रथम श्रेणी में एम.एससी. या कैमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री।
12.	सहायक पर्यावरण अभियन्ता	सिविल/कैमिकल/पर्यावरण इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में पूर्णकालिक नियमित डिग्री।	पदोन्नति द्वारा : बोर्ड में कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता के रूप में आठ वर्ष का अनुभव। प्रतिनियुक्ति द्वारा : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से सिविल/कैमिकल/पर्यावरण इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातक डिग्री तथा राज्य सरकार के किसी विभाग में समकक्ष पद पर कार्यरत हो।
13.	सॉफ्टवेयर डेवलपर	सीधी भर्ती द्वारा : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ बी.ई./बी.टैक. (सूचना प्रौद्योगिकी/ कम्प्यूटर विज्ञान /इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार) या एम.सी.ए. या एम.	पदोन्नति द्वारा : (i) जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की क्षमता में सॉफ्टवेयर विकास विषय में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। (ii) कम से कम सात वर्ष का अनुभव (बाहरी अनुभव)।

		एससी. (सूचना प्रौद्योगिकी / कम्प्यूटर विज्ञान / एप्लीकेशन / इलैक्ट्रॉनिक्स तथा संचार; और (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ बी.सी.ए., बी.एससी. (सूचना प्रौद्योगिकी / कम्प्यूटर विज्ञान / एप्लीकेशन / इलैक्ट्रॉनिक्स तथा संचार)। टिप्पणी : अपवाद के रूप में, उपरोक्त यथा-वर्णित अनुभव के साथ किसी अन्य विषय में योग्यता वाले उम्मीदवार पर भी पद के लिए विचार किया जा सकता है। अधिमान उन उम्मीदवारों को दिया जाएगा जिनके पास उच्चतर योग्यताएं तथा यथा-वर्णित उन्नत प्रमाणीकरण हों।	(परामर्शी आधार पर लगे पद धारक को छूट दी जाएगी) टिप्पणी: अपवाद के रूप में, उपरोक्त यथा-वर्णित अनुभव के साथ किसी अन्य विषय में योग्यता वाले उम्मीदवार पर भी पद के लिए विचार किया जा सकता है। अधिमान उन उम्मीदवारों को दिया जाएगा जिनके पास उच्चतर योग्यताएं तथा यथा-वर्णित उन्नत प्रमाणीकरण हों।
14.	तहसीलदार	जैसा मूल विभाग में लागू है।	प्रतिनियुक्ति द्वारा : जैसा मूल विभाग में लागू है।
15	अधीक्षक	---	पदोन्नति द्वारा : (i) बोर्ड में उप-अधीक्षक के रूप में दो वर्ष की सेवा या उप-अधीक्षक तथा सहायक/लेखाकार के रूप में नौ वर्ष का अनुभव। प्रतिनियुक्ति द्वारा : (i) उप-अधीक्षक के रूप में दो वर्ष का अनुभव या सहायक/लेखाकार के रूप में नौ वर्ष का अनुभव।
16	निजी सचिव	---	पदोन्नति द्वारा : निजी सहायक के रूप में दो वर्ष का अनुभव। प्रतिनियुक्ति द्वारा : निजी सहायक के रूप में दो वर्ष का अनुभव।
17.	सहायक जिला न्यायवादी	जैसा मूल विभाग में लागू है	प्रतिनियुक्ति द्वारा : जैसा मूल विभाग में लागू है
18	जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ बी.ई./बी.टैक. (सूचना प्रौद्योगिकी / कम्प्यूटर विज्ञान / इलैक्ट्रॉनिक्स तथा संचार) या एम.सी.ए. या एम.एससी. (सूचना प्रौद्योगिकी / कम्प्यूटर विज्ञान / एप्लीकेशन / इलैक्ट्रॉनिक्स	प्रतिनियुक्ति द्वारा : पद पर दो वर्ष की सेवा।

		तथा संचार; और (परामर्शी आधार पर लगे पदधारक को छूट दी जाएगी) ।	
		टिप्पणी : अपवाद के रूप में, उपरोक्त यथा-वर्णित अनुभव के साथ किसी अन्य विषय में योग्यता वाले उम्मीदवार पर भी पद के लिए विचार किया जा सकता है। अधिमान उन उम्मीदवारों को दिया जाएगा जिनके पास उच्चतर योग्यताएं तथा यथा-वर्णित उन्नत प्रमाणीकरण हों।	
ग्रुप – 'ग'			
19.	अनुभाग (लेखा)	अधिकारी	जैसा मूल विभाग में लागू है
			प्रतिनियुक्ति द्वारा : जैसा मूल विभाग में लागू है
20	उप-अधीक्षक	---	पदोन्नति द्वारा : बोर्ड में लेखाकार/सहायक के रूप में सात वर्ष का अनुभव। प्रतिनियुक्ति द्वारा : हरियाणा सरकार के किसी विभाग में सहायक/लेखाकार के रूप में सात वर्ष का अनुभव।
21.	निजी सहायक	---	पदोन्नति द्वारा : वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। प्रतिनियुक्ति द्वारा : वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।
22	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	(i) रसायन विज्ञान / पर्यावरण विज्ञान (विज्ञान/सूक्ष्म जीव विज्ञान/जैव रसायन विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी में डिग्री के साथ) में एम. एससी. अथवा पर्यावरण अन्वेषण, जांच या विश्लेषण में लगी प्रयोगशाला में एक वर्ष के अनुभव के साथ प्रथम श्रेणी में बी.एससी.।	पदोन्नति द्वारा : बोर्ड में कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। प्रतिनियुक्ति द्वारा : रसायन विज्ञान / पर्यावरण विज्ञान (विज्ञान/सूक्ष्म जीव विज्ञान/जैव रसायन विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी में डिग्री के साथ) में एम.एससी. अथवा प्रथम श्रेणी में बी.एससी. के साथ पर्यावरण अन्वेषण, जांच या विश्लेषण में लगी प्रयोगशाला में एक वर्ष का अनुभव।
23	कनिष्ठ अभियन्ता	पर्यावरण सिविल / कैमिकल / पर्यावरण इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में तीन वर्ष का डिप्लोमा।	प्रतिनियुक्ति द्वारा : सिविल/ पर्यावरण/ कैमिकल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में तीन वर्ष का डिप्लोमा स्थानान्तरण द्वारा : सिविल/कैमिकल/ पर्यावरण इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में तीन वर्ष के डिप्लोमा सहित निष्कलंक रिकॉर्ड सहित कम से कम तीन वर्ष की सेवा।

24	सांख्यिकीय सहायक	सरकार में सांख्यिकीय डाटा के संग्रहण, संकलन, विश्लेषण में तीन वर्ष के अनुभव के साथ अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या गणित या एक ऐच्छिक विषय के रूप में सांख्यिकी सहित वाणिज्य में स्नातक डिग्री।	प्रतिनियुक्ति द्वारा:- किसी सरकारी विभाग/ प्रतिष्ठित संस्थान में सांख्यिकीय डाटा के संग्रहण, संकलन, विश्लेषण में तीन वर्ष के अनुभव के साथ अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या गणित या एक ऐच्छिक विषय के रूप में सांख्यिकी सहित वाणिज्य में स्नातक डिग्री।
25	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान के साथ प्रथम श्रेणी में बी.एससी.।	प्रतिनियुक्ति द्वारा : एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान के साथ प्रथम श्रेणी में बी.एससी.।
26	सहायक	---	पदोन्नति द्वारा : बोर्ड में लिपिक/आशुटंकक /लेखा लिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। प्रतिनियुक्ति द्वारा : लिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।
27	लेखाकार	द्वितीय श्रेणी में एम.कॉम. अथवा वाणिज्यिक लेखा में दो वर्ष के अनुभव के साथ प्रथम श्रेणी में बी.कॉम.।	पदोन्नति द्वारा : बी.कॉम. के साथ बोर्ड में लेखा लिपिक/लिपिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव प्रतिनियुक्ति द्वारा : सरकार में वाणिज्यिक लेखा में दो वर्ष के अनुभव के साथ द्वितीय श्रेणी में एम.कॉम. या प्रथम श्रेणी में बी.कॉम.।
28	वरिष्ठ आशुलिपिक वेतनमान	---	पदोन्नति द्वारा: 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रति मिनट की गति से प्रतिलेखन, जिसमें त्रुटियां 4 प्रतिशत से अधिक न हों तथा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा पन्द्रह शब्द प्रति मिनट की गति से प्रतिलेखन, जिसमें त्रुटियां 4 प्रतिशत से अधिक न हों, के साथ बोर्ड में कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में तीन वर्ष की सेवा। प्रतिनियुक्ति द्वारा : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री। (ii) 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रति मिनट की गति से प्रतिलेखन, जिसमें त्रुटियां 4 प्रतिशत से अधिक न हों तथा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा पन्द्रह शब्द प्रति मिनट की गति से प्रतिलेखन, जिसमें त्रुटियां 4 प्रतिशत से अधिक न हों।

			(iii) मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक 42/164/2008-3जी.एस.-II, दिनांक 11.10.2013 के तहत जारी और समय-समय पर संशोधित निर्देशों के अनुसार कम्प्यूटर एप्रीसिएशन तथा एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए।
29	चालक	मैट्रिक, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ हल्के/ भारी परिवहन वाहन चलाने का पांच वर्ष का अनुभव।	प्रतिनियुक्ति द्वारा : मैट्रिक, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ हल्के/ भारी परिवहन वाहन चलाने का पांच वर्ष का अनुभव।
30	कनिष्ठ आशुलिपिक	वेतनमान शैक्षणिक योग्यताएं : सीधी भर्ती द्वारा (i) 10+2 (ii) अंग्रेजी में 100 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आशुलिपि तथा अंग्रेजी में 20 शब्द प्रति मिनट जबकि हिन्दी में 15 शब्द प्रति मिनट की गति से इसका प्रतिलेखन और त्रुटियां 4 प्रतिशत से अधिक न हों। (iii) मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक 42/164/2008-3जी.एस.-II, दिनांक 11.10.2013 के तहत जारी और समय-समय पर संशोधित निर्देशों के अनुसार कम्प्यूटर एप्रीसिएशन तथा एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए।	पदोन्नति द्वारा : (i) अंग्रेजी में न्यूनतम 100 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आशुलिपि तथा अंग्रेजी में 20 शब्द प्रति मिनट जबकि हिन्दी में 15 शब्द प्रति मिनट की गति से इसके प्रतिलेखन के साथ बोर्ड में आशुटंकक के रूप में पांच वर्ष की सेवा। (ii) मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक 42/164/2008-3 जी. एस.-II, दिनांक 11.10.2013 के तहत जारी और समय-समय पर संशोधित निर्देशों के अनुसार कम्प्यूटर एप्रीसिएशन तथा एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। प्रतिनियुक्ति द्वारा : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक डिग्री। (ii) अंग्रेजी में 100 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आशुलिपि तथा अंग्रेजी में 20 शब्द प्रति मिनट जबकि हिन्दी में 15 शब्द प्रति मिनट की गति से इसका प्रतिलेखन और त्रुटियां 4 प्रतिशत से अधिक न हों। (iii) मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक 42/164/2008-3 जी. एस.-II, दिनांक 11.10.2013 के तहत जारी और समय-समय पर संशोधित निर्देशों के अनुसार कम्प्यूटर एप्रीसिएशन तथा एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए।
31	लेखा लिपिक	—	पदोन्नति द्वारा : बी.कॉम. के साथ बोर्ड में लिपिक के रूप में तीन वर्ष की सेवा।

			प्रतिनियुक्ति द्वारा : द्वितीय श्रेणी में बी.कॉम. के साथ तीन वर्ष का अनुभव।
32	आशुटकक	(i) 10+2 (ii) अंग्रेजी में 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी में 64 शब्द प्रति मिनट की गति से आशुलिपि तथा अंग्रेजी में 15 शब्द प्रति मिनट जबकि हिन्दी में 11 शब्द प्रति मिनट की गति से इसका प्रतिलेखन और त्रुटियां 8 प्रतिशत से अधिक न हों। (iii) मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक 42/164/2008-3जी.एस.-II, दिनांक 11.10.2013 के तहत जारी और समय-समय पर संशोधित निर्देशों के अनुसार कम्प्यूटर एप्रीसिएशन तथा एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए।	पदोन्नति द्वारा : (i) अंग्रेजी में 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी में 64 शब्द प्रति मिनट की गति से आशुलिपि तथा अंग्रेजी में 15 शब्द प्रति मिनट जबकि हिन्दी में 11 शब्द प्रति मिनट की गति से इसके प्रतिलेखन (त्रुटियां 8 प्रतिशत से अधिक न हों) के साथ लिपिक के रूप में एक वर्ष की नियमित सेवा। (ii) मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक 42/164/2008-3जी.एस.-II, दिनांक 11.10.2013 के तहत जारी और समय-समय पर संशोधित निर्देशों के अनुसार कम्प्यूटर एप्रीसिएशन तथा एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। प्रतिनियुक्ति द्वारा : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक। (ii) अंग्रेजी में 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी में 64 शब्द प्रति मिनट की गति से आशुलिपि तथा अंग्रेजी में 15 शब्द प्रति मिनट जबकि हिन्दी में 11 शब्द प्रति मिनट की गति से इसका प्रतिलेखन और त्रुटियां 8 प्रतिशत से अधिक न हों। (iii) मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक 42/164/2008-3जी.एस.-II, दिनांक 11.10.2013 के तहत जारी और समय-समय पर संशोधित निर्देशों के अनुसार कम्प्यूटर एप्रीसिएशन तथा एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए।
33	लिपिक	(i) 10+2 (ii) मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक 42/164/2008-3जी.एस.-II, दिनांक 11.10.2013 के तहत जारी और समय-समय पर संशोधित निर्देशों के अनुसार कम्प्यूटर एप्रीसिएशन तथा एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए।	पदोन्नति द्वारा : (i) 10+2 के साथ निम्न वेतनमान वाले ग्रुप-ग या ग्रुप-घ कर्मचारी के रूप में पांच वर्ष की सेवा। (ii) मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक 42/164/2008-3जी.एस.-II, दिनांक 11.10.2013 के तहत जारी और समय-समय पर संशोधित निर्देशों के अनुसार कम्प्यूटर एप्रीसिएशन तथा एप्लीकेशन

			में राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। प्रतिनियुक्ति द्वारा: प्रथम श्रेणी में मैट्रिक/द्वितीय श्रेणी में 10+2/ इंटरमीडियेट/10+2 (व्यावसायिक)/स्नातक के साथ ग्रुप-‘ग’ कर्मचारी के रूप में पांच वर्ष की सेवा। हारट्रोन से कम्प्यूटर एप्रीसिएशन तथा एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए।
34	प्रयोगशाला परिचर	विज्ञान (भौतिकी तथा रसायन विज्ञान) तथा हिन्दी या संस्कृत के साथ मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	पदोन्नति द्वारा: (i) बोर्ड के ग्रुप-‘घ’ के कर्मचारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव। विज्ञान और हिन्दी या संस्कृत के साथ मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। प्रतिनियुक्ति द्वारा: (i) विज्ञान (भौतिकी तथा रसायन विज्ञान) तथा हिन्दी या संस्कृत के साथ मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
ग्रुप-‘घ’			
35	वरिष्ठ सेवादार	---	पदोन्नति द्वारा : सेवादार के रूप में पांच वर्ष की नियमित सेवा। प्रतिनियुक्ति द्वारा : हरियाणा सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यालय शिक्षा बोर्ड से मैट्रिक के साथ सरकार या सरकार के उपक्रम में सात वर्ष की नियमित सेवा।
36	दफ्तरी	---	पदोन्नति द्वारा : सेवादार/माली-सह-चौकीदार के रूप में पांच वर्ष की नियमित सेवा। प्रतिनियुक्ति द्वारा : हरियाणा सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यालय शिक्षा बोर्ड से मैट्रिक।
37	सेवादर	मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक	प्रतिनियुक्ति द्वारा : हरियाणा सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यालय शिक्षा बोर्ड से मैट्रिक।
38	क्षेत्र परिचर	मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक	प्रतिनियुक्ति द्वारा : हरियाणा सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यालय शिक्षा बोर्ड से मैट्रिक।

टिप्पणी:-

- सीधी भर्ती हेतु ऊपर वर्णित सभी पदों के लिए मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत होना अनिवार्य है।
- इन विनियमों में विभिन्न पदों के लिए विहित अनुभव केवल सम्बन्धित पद की अनिवार्य योग्यताएं अर्जित करने के बाद ही गिना जाएगा।

परिशिष्ट 'ग'

[देखिए विनियम 15 (1)]

क्र. सं.	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का नाम	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
ग्रुप – ‘क’						
1	वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता	अध्यक्ष	1. बड़ी शास्तियां	अध्यक्ष	सरकार	---
			2. छोटी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
2	वरिष्ठ वैज्ञानिक	अध्यक्ष	1. बड़ी शास्तियां	अध्यक्ष	सरकार	---
			2. छोटी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
3	पर्यावरण अभियन्ता	अध्यक्ष	1. बड़ी शास्तियां	अध्यक्ष	सरकार	---
			2. छोटी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
4	वैज्ञानिक–‘सी’	अध्यक्ष	1. बड़ी शास्तियां	अध्यक्ष	सरकार	---
			2. छोटी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
5	डेवलपमेंट टीम लीडर	अध्यक्ष	1. बड़ी शास्तियां	अध्यक्ष	सरकार	---
			2. छोटी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
ग्रुप –‘ख’						
6	प्रशासकीय अधिकारी	सदस्य सचिव	1. बड़ी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
			2. छोटी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
7.	वैज्ञानिक–‘बी’	सदस्य सचिव	1. बड़ी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
			2. छोटी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
8.	सहायक पर्यावरण अभियन्ता	सदस्य सचिव	1. बड़ी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
			2. छोटी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
9.	सॉफ्टवेयर डेवलपर	सदस्य सचिव	1. बड़ी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
			2. छोटी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
10.	अधीक्षक	सदस्य सचिव	1. बड़ी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
			2. छोटी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
11.	निजी सचिव	सदस्य सचिव	1. बड़ी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
			2. छोटी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
12.	जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर	सदस्य सचिव	1. बड़ी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
			2. छोटी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
ग्रुप–‘ग’						
13.	उप–अधीक्षक	सदस्य सचिव	बड़ी और छोटी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
14.	निजी सहायक	सदस्य सचिव	बड़ी और छोटी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
15.	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	सदस्य सचिव	बड़ी और छोटी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
16.	कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता	सदस्य सचिव	बड़ी और छोटी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार

17.	सांख्यिकीय सहायक	सदस्य सचिव	बड़ी और छोटी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
18.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	सदस्य सचिव	बड़ी और छोटी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
19.	सहायक	सदस्य सचिव	बड़ी और छोटी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
20.	लेखाकार	सदस्य सचिव	बड़ी और छोटी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
21.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	सदस्य सचिव	बड़ी और छोटी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
22.	चालक	सदस्य सचिव	बड़ी और छोटी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
23.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	सदस्य सचिव	बड़ी और छोटी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
24.	लेखा लिपिक	सदस्य सचिव	बड़ी और छोटी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
25.	आशुटंकक	सदस्य सचिव	बड़ी और छोटी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
26.	लिपिक	सदस्य सचिव	बड़ी और छोटी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
27.	प्रयोगशाला परिचारक	सदस्य सचिव	बड़ी और छोटी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
ग्रुप-‘घ’						
28.	वरिष्ठ सेवादार	सदस्य सचिव	बड़ी और छोटी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
29.	दफ्तरी	सदस्य सचिव	बड़ी और छोटी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
30.	सेवादर	सदस्य सचिव	बड़ी और छोटी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
31.	क्षेत्र परिचारक	सदस्य सचिव	बड़ी और छोटी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
32.	माली-सह-चौकीदार	सदस्य सचिव	बड़ी और छोटी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार
33.	सफाई कर्मचारी	सदस्य सचिव	बड़ी और छोटी शास्तियां	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सरकार

टिप्पणी :-

- सभी पदों के लिए बड़ी और छोटी शास्तियां हरियाणा सिविल सेवाएं (दण्ड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम 4 के अनुसार होंगी।
- प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों/कर्मचारियों के मामले में दण्ड एवं अपील हेतु सक्षम प्राधिकारी मूल विभाग में यथा-अनुप्रयोज्य होगा।

दीप्ति उमाशंकर,
अध्यक्ष,
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

धीरा खण्डेलवाल,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT

Notification

The 15th January, 2021

No. 2/1/2008-1Env. In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and (3A) of section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Act No. 6 of 1974), and Sub-Section-(4) of Section-14 of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Haryana State Pollution Control Board, with the approval of the State Government hereby makes the following regulations governing the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana State Pollution Control Board (Group A, B, C and D) Service, namely:-

PART- I GENERAL	
Short Title and Commencement	1. (i) These regulations may be called the Haryana State Pollution Control Board (Group A, B, C and D) Service Regulations, 2021. (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
Definitions	2. In these regulations, unless the context otherwise requires.- (a) "Board" means the Haryana State Pollution Control Board constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Act No. 6 of 1974) and Sub-Section-(4) of Section-14 of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981; (b) "Chairman" means the Chairman of the Board; (c) "Member Secretary" means the Member Secretary of the Board. (d) "Commission" means the Haryana Public Service Commission or the Haryana Staff Service Selection Commission, as the case may be; (e) "Cooling period" means the period of two years which a Government employee or employee of Central Pollution Control Board has to work in lending department or Central Pollution Control Board after his return from deputation in Haryana Pollution Control Board.; (f) "Deputation" means appointment of an employee of Government of Haryana or Central Pollution Control Board in Haryana State Pollution Control Board for a limited period with specific terms and conditions.; (g) "Direct recruitment" means an appointment made, otherwise than by promotion from within the Service or, by transfer of an officer/official already in the service of the Government of India or any State Government; (h) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department; (i) "Institution" means:- (i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or (ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these regulations; (J) "Recognized University" means,- (i) any University/ Institute incorporated by law in India; (ii) any other University/ Institute which is declared by the Government to be recognized university for the purpose of these regulations; (k) "Reputed Institute"- means Government, Semi Government or Public Sector Undertaking. (l) "Administrative Secretary" means the Additional Chief Secretary or Principal Secretary to Government of Haryana, Environment and Climate Change Department; (m) "Service" means the Haryana State Pollution Control Board (Group A, B, C and D) Service.

PART-II-RECRUITMENT TO SERVICE CENTRE	
Numbers and Character of posts	3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these regulations: Provided that nothing in these regulations shall affect the inherent right of the Board to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.
Nationality, Domicile and Character of persons appointed to service	4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service unless he is,- (a) a citizen of India; or (b) a subject of Nepal; or (c) a subject of Bhutan; or Provided that a person belonging to any of the categories (b) or (c) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been given by the Government. (2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to an examination or interview, conducted by the Commission or any other recruiting authority but the offer of appointment may be given by only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government. (3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment unless he produces a certificate of the Character from the Principal, Academic Officer of the university, college, school or institution, last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with the university, college, school or Institution.
Age	5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, who is less than Eighteen years or more than Forty –Two years of age, on the date or as specified by the Government from time to time. Provided that,— (a) in case of a person belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Backward Class, Ex- Serviceman and differently abled persons and others the upper age limit shall be such as prescribed by the Government from time to time; and (b) in case of candidates possessing the requisite qualifications who are already in the service of Government/Board/Corporation, the upper age limit shall be such as prescribed by the State Government from time to time
Appointing Authority	6. Appointment to the posts in the Service shall be made by the authorities as specified in column 3 of the Appendix C to these regulations.
Qualifications and Experience	7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these regulations in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment.
Disqualifications	8. No person,- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the Service: Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the Personal Law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
Method of Recruitment	9. (1) Recruitment to the Service shall be made,- Group-A (a) In the case of Senior Environmental Engineer: (a) By Promotion from amongst Environmental Engineers. (b) On deputation for fixed term on usual terms and conditions as prescribed by Government from time to time.

- (b) In the case of Senior Scientist:
 - (i) 2 posts by promotion from amongst Scientist 'C'.
 - (ii) 2 posts through deputation for Data and Analytics Cell
 - (iii) 5 posts through deputation;
 - (a) One expert of Air Quality
 - (b) Four expert of Water Quality, Waste Management, Nature Conservation and Toxicology.
- (c) In the case of Environmental Engineer,-
 - (i) 100% by promotion from amongst Assistant Environmental Engineer; and
 - (ii) By deputation of an officer already in the service of the State Government or the Government of India;
- (d) In the case of Scientist C.-
 - (i) 100% by promotion from amongst Scientist B; and
 - (ii) By deputation of an officer already in the service of the State Government or the Government of India;
- (e) In the case of District Attorney:-
On deputation from Prosecution Department of Haryana;
- (f) In the case of Development Team Leader:-
On deputation from Information Technology Department, Haryana;

GROUP-B

- (g) In the case of Senior Accounts Officer:-
On deputation from Finance Department of Haryana
- (h) In case of Accounts Officer:-
On deputation from Finance Department of Haryana
- (i) In the case of Administrative Officer,-
 - (i) By promotion from amongst Superintendent/Private Secretary; or
 - (ii) By transfer, an officer already in the service of State Government.
 - (iii) On deputation for fixed term on usual terms and conditions as prescribed by Government from time to time.
- (j) In the case of Scientist B -
 - (i) 50% by promotion from amongst Senior Scientific Assistants; and
 - (ii) 50% by direct recruitment; or
 - (iii) On deputation for fixed term on usual terms and conditions as prescribed by Government from time to time.
- (k) In the case of Assistant Environmental Engineer,-
 - (i) 75% by direct recruitment; and
 - (ii) 25% by promotion from amongst Junior Environmental Engineer; or
 - (iii) By deputation of an officer already in the service of State Government or the Government of India;
- (l) In the case of Tehsildar:-
On deputation from Revenue Department of Haryana;
- (m) In the case of Deputy District Attorney:-
On deputation from Prosecution Department of Haryana.
- (n) In the case of Software Developer,-
 - (i) By Promotion from amongst Junior Software Developer; or
 - (ii) By transfer or deputation;
- (o) In the case of Superintendent,-
 - (i) By promotion from amongst Deputy Superintendent /Assistant/Accountant;

	(ii) By transfer, an official already in the service of State Government or the Government of India. (iii) On deputation for fixed term on usual terms and conditions as prescribed by Govt. from time to time. (p) In the case of Private Secretary,- (i) By promotion from amongst Personal Assistants; or (ii) By transfer, an official already in the service of State Government or the Government of India. (iii) By deputation of an officer already in the service of State Government or the Government of India; (q) In the case of Assistant District Attorney:- On deputation from Prosecution Department of Haryana; (r) In the case of junior software developer: On Deputation from Information Technology Department, Haryana. Group-C (s) In the case of Section Officer (Accounts):- On deputation from Finance Department of Haryana (t) in the case of Deputy Superintendent,- (i) By promotion from amongst Assistants/Accountants;/or (ii) By transfer, an official already in the service of State Government or the Government of India. (iii) on deputation for fixed term on usual terms and conditions as prescribed by Govt. from time to time. (u) In the case of Personal Assistant:- (i) By promotion from amongst Senior Scale Stenographer; or (ii) By transfer, an official already in the service of State Government or the Government of India. (iii) On deputation for fixed term on usual terms and conditions as prescribed by Government from time to time. (v) In the case of Senior Scientific Assistant,- (i) 75% by promotion from amongst Junior Scientific Assistant; and (ii) 25% by direct recruitment; or (iii) On deputation for fixed term on usual terms and conditions as prescribed by Government from time to time; (w) In the case of Junior Environmental Engineer,- (i) By direct recruitment; or (ii) On deputation for fixed term on usual terms and conditions as prescribed by Government from time to time; (x) In the case of Statistical Assistant,- (i) By Direct Recruitment; or (ii) On deputation for fixed term on usual terms and conditions as prescribed by Government from time to time; (y) In the case of Junior Scientific Assistant,- (i) By direct recruitment; or (ii) On deputation for fixed term on usual terms and conditions as prescribed by Government from time to time; (z) In the case of Assistant,- (i) By promotion from amongst the Clerks/Steno- typists/Accounts Clerks; or (ii) By transfer, an official already in the service of any State Government or the Government of India. (iii) On deputation for fixed term on usual terms and conditions as prescribed by Government from time to time;
--	---

- (aa) In the case of Accountant,-
 - (i) 50% by promotion from amongst the Accounts Clerks/Clerks; and
 - (ii) 50% by direct recruitment; or
 - (iii) On deputation for fixed term on usual terms and conditions as prescribed by Government from time to time;
- (ab) In the case of Senior Scale Stenographer,-
 - (i) by promotion from amongst Junior Scale Stenographers; or
 - (ii) By transfer, an officer already in the service of State Government or the Government of India.
 - (iii) On deputation for fixed term on usual terms and conditions as prescribed by Government from time to time;
- (ac) In the case of Driver,-
 - (i) by direct recruitment; or
 - (ii) On deputation for fixed term on usual terms and conditions as prescribed by Government from time to time;
- (ad) In the case of Junior Scale Stenographer,-
 - (i) 75% by promotion from amongst the Steno-typists; and
 - (ii) 25% by direct recruitment; or
 - (iii) On deputation for fixed term on usual terms and conditions as prescribed by Government from time to time;
- (ae) In the case of Accounts Clerk,-
 - (i) 50 % by promotion from amongst Clerks; or
 - (ii) On deputation for fixed term on usual terms and conditions as prescribed by Government from time to time;
- (af) In the case of Steno-typist,-
 - (i) 75% by direct recruitment; and
 - (ii) 25% by promotion from amongst the Clerks; or
 - (iii) On deputation for fixed term on usual terms and conditions as prescribed by Government from time to time;
- (ag) In the case of Clerk,-
 - (i) 80% by direct recruitment; and
 - (ii) 20% by promotion from amongst Group C or Group D employees whose scale of pay and responsibility is less than that of a Clerk; or
 - (iii) On deputation for fixed term on usual terms and conditions as prescribed by Government from time to time;
- (ah) In the case of Laboratory Attendant,-
 - (i) 80% by promotion from amongst Group D employees;
 - (ii) 20% by direct recruitment; or
 - (iii) On deputation for fixed term on usual terms and conditions as prescribed by Government from time to time;

Group-D

- (ai) In the case of Senior Peon,-
 - (i) By promotion amongst Peons; or
 - (ii) By transfer, an official already in the service of State Government or the Government of India.
 - (iii) On deputation for fixed term on usual terms and conditions as prescribed by Government from time to time;
- (aj) in the case of Daftri,-
 - (i) By promotion amongst Peons; or
 - (ii) By transfer, an official already in the service of State Government or the Government of India.

State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC)	(iii) On deputation for fixed term on usual terms and conditions as prescribed by Government from time to time; (ak) in the case of Peon,- (i) By direct recruitment; or (ii) On deputation for fixed term on usual terms and conditions as prescribed by Government from time to time. (al) in the case of Field Attendant,- (i) By direct recruitment; or (ii) On deputation for fixed term on usual terms and conditions as prescribed by Government from time to time. (2) All Promotions unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions. (3) Unless otherwise provided, when any vacancy occurs or is about to occur in the Service, appointing authority shall determine in what manner such vacancy shall be filled in. 10. (i) Type test is substituted with the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) as a part of service requirements for Clerks, Steno-typists, Junior Scale Stenographers & Senior Scale Stenographers. State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) shall be post requisite condition/qualification and all the newly recruited/appointed Clerks, Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Sr. Scale Stenographers shall have to qualify SETC. Besides Steno-typists, Junior Scale Stenographers & Sr. Scale Stenographer shall have to qualify stenography. (ii) The candidate shall have to qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation & Application (SETC), to be conducted by HARTRON, within the probation period of 2 years, extendable by 1 year in case of direct recruitment. The candidate appointed against the aforesaid categories of posts in the group 'C' shall not be entitled to earn any increment in his/her pay scale till he/she qualifies the said test. The persons who are promoted to the post of Clerk, Junior or Senior Scale Stenographer shall also qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) within the period of probation of one year extendable by one year if already not qualified failing which he/she will be reverted back. (iii) In case, any Clerk wishes to be exempted from SETC part-I (Computer knowledge test) they may acquire necessary computer knowledge certificate (mentioned in Govt. instructions No. 42/164/2008-3GS-II dated 7/11/2013 and even No. dated 22/9/2017) from the approved source / authorized agencies i.e. HARTRON, HKCL, NIELIT, etc.
Probation	11. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise: <u>Provided that,-</u> (a) any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation; (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service, may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this regulation; and (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against regular post. (2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,-

	(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services; and (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,- (i) revert him to his former post; or (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit. (3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,- (a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory, (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against the regular post; or (ii) confirm such person from the date of satisfactory completion of probation period, if appointed against a temporarily vacancy. (b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,- (i) dispense with his service, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of previous appointment permit; or (ii) extend his period of probation and thereafter pass such orders, as it could have passed on the expiry of the first period of probation: Provided that the total period of the probation including extension, if any, shall not exceed three years.
Seniority.	12. Seniority, inter-se of the members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service: Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre: Provided further that in the case of a member appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission shall not be disturbed in fixing the seniority: Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer; (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer; (c) in the case of member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment, and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.
Liability to serve.	13. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority. (2) A member of Service may also be deputed to serve under- (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation, or a local authority, or University within the State of Haryana;

	(ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or (iii) another State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government or a private body: Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any State Government or any organization or body referred to in Clause (ii) or Clause (iii) except with his consent.
Pay, leave, pension and other matters.	14. (i) In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these regulations, the members of the Service shall be governed by Haryana Civil Services Rules, 2016 and by such rules and regulations as may have been or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature: Provided that the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016 shall not be applicable to those member of service who are appointed on or after the 1st January, 2006 (except death-cum- retirement gratuity and leave encashment).
Discipline, Penalties and appeal.	15. (1) In matters relating to conduct, disciplines, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Conduct of government employees) Rules, 2016 & Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, as amended from time to time: Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these regulations. (2) The authority competent to pass an order under sub clause (1) above, shall be such as prescribed in Appendix C in to these regulations.
Vaccination	16. Every member of the Service, shall get himself vaccinated or revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order
Oath of allegiance	17. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established
Power of relaxation.	18. Where the Board is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons with the approval of the Government
Special Provisions.	19. Notwithstanding anything contained in these regulations, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment, if it is deemed necessary to do so.
Reservations.	20. Reservation of appointments for posts for members of schedule castes/tribes, backward classes, ex-servicemen, sportsmen, and differently abled persons shall be made to the same extent as is made by the Govt. of Haryana from time to time, in the services under it.
Repeal and savings.	21. Any regulation applicable to the Service and corresponding to any of these regulations, which is in force immediately before the commencement of these regulations, is hereby repealed: Provided that any order made or action taken under the regulations so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these regulations.

APPENDIX A*(see regulation 3)*

Serial Number	Designation	Number of Posts	Scale of Pay
1	2	3	4
Group - A			
1.	Senior Environmental Engineer	6	Level 14 Rs. 118500-207900
2.	Senior Scientist	9	Level 14 Rs. 118500-207900
3.	Environmental Engineer	33	Level 11 Rs. 67700-191000
4.	Scientist C	10	Level 11 Rs. 67700-191000
5.	District Attorney	1	On deputation from Prosecution Department, Haryana in his own pay scale.
6.	Development Team Leader	1	Level 11 Rs. 67700-191000
Group – B			
7.	Senior Accounts Officer	1	On deputation from Finance Department, Haryana in his own pay scale.
8.	Accounts Officer	1	On deputation from Finance Department, Haryana in his own pay scale.
9.	Administrative Officer	1	Level 9 Rs. 53100-167800
10.	Deputy District Attorney	1	Deputy District Attorney or Assistant District Attorney on deputation from Prosecution Department, Haryana in his own pay scale. .
11.	Scientist B	40	Level 9 Rs. 53100-167800
12.	Assistant Environmental Engineer	92	Level 9 Rs. 53100-167800
13.	Software Developer	1	Level 9 Rs. 53100-167800
14.	Tehsildar	1	On deputation from Revenue and Disaster Management Department, Haryana in his own pay scale.
15.	Superintendent	4	Level 7 Rs. 44900-142400
16.	Private Secretary	2	Level 7 Rs. 44900-142400
17.	<i>Assistant District Attorney</i>	3	On deputation from Prosecution Department, Haryana in his own pay scale.
18.	Junior Software Developer	2	Level 7 Rs. 44900-142400
Group - C			
19.	Section Officer	1	On deputation from Finance Department, Haryana in his own pay scale.
20.	Deputy Superintendent	4	Level 6 Rs. 35400-112400
21.	Statistical Assistant	1	Level 6 Rs. 35400-112400
22.	Senior Scientific Assistant	7	Level 6 Rs. 35400-112400
23.	Junior Environmental Engineer	25	Level 6 Rs. 35400-112400
24.	Junior Scientific Assistant	10	Level 6 Rs. 35400-112400

25.	Personal Assistant	1	Level 6 Rs. 35400-112400
26.	Assistant	46	Level 6 Rs. 35400-112400
27.	Accountant	4	Level 6 Rs. 35400-112400
28.	Senior Scale Stenographer	4	Level 6 Rs. 35400-112400
29.	Junior Scale Stenographer	3	Level 4 Rs. 25500-81100
30.	Accounts Clerk	2	Level 4 Rs. 25500-81100
31.	Driver	17	Level 4 Rs. 25500-81100
32.	Steno-Typist	8	Level 2 Rs. 19900-63200 + Rs. 100 special pay
33.	Clerk	46	Level 2 Rs. 19900-63200
34.	Laboratory Attendant	10	Level 2 Rs. 19900-63200
Group-D			
35.	Senior Peon	2	DL Rs. 16900-53500
36.	Daftri	1	DL Rs. 16900-53500
37.	Peon	51	DL Rs. 16900-53500
38.	Field Attendant	22	DL Rs. 16900-53500
39	Mali and Chowkidar	2	DL Rs. 16900-53500
40	Sweeper	1	DL Rs. 16900-53500

APPENDIX B
(See regulation 7)

Sr. No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
GROUP-A			
1	Senior Environmental Engineer	--	By Promotion (i) Seven years' experience in the Board as Environmental Engineer or total 16 years experience as Environmental Engineer and Assistant Environmental Engineer subject to the condition that the candidate possesses regular full time degree in Engineering or its equivalent. (ii) By deputation Superintending Engineer working in State Government having prescribed qualification as in (i) above.
2	Senior Scientist	--	By Promotion (Two Posts) (i) Seven years experience in the Board as Scientist 'C' or total Sixteen years experience as Scientist- C & Scientist 'B' subject to the condition that the candidate possesses regular full time Degree and Post Graduate Degree in Science. By Deputation (Data & Analytics) (Two Posts): M.Sc. in Maths / Statistics / Physics / Operational Research with Post Graduate Diploma in Computer Science and Application or MCA/B.E. or B.Tech in Computer Science with Eight years experience as Programmer in Computer in Government Departments or Government Undertakings / Public Limited Company of repute. The certificate of reputation should be obtained / certified by the department of Information Technology, Haryana. Desirable: Candidate should have knowledge of Mobile software (IOS/ Android) and Web App development and on line data base management and latest IT application and networks. By Deputation (Five Posts): (Expert for Air Quality, Water Quality, Waste Management, Nature Conservationist, and Toxicologist): (i) Expert for Air Quality (One): Should be at the level of a Associate Professor with a PhD degree or its equivalent, fellowship in Air Quality Management, serving in a Government / Semi Government. Research Institute.

Sr. No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
			(ii) Expert for Water Quality (One): Should be at the level of Associate Professor having PhD Degree in Environmental Science/Life Science and allied discipline / Chemistry, Physics, Biotechnology, Microbiology / Master Degree in Engineering / Technology with fifteen years of experience in respective field. (iii) Expert for Waste Management (One): Should be at the level of a Associate Professor with a completed PhD or its equivalent, fellowship in Waste Management, serving in reputed research institute. (iv) Expert for Conservation (One): Should be at the level of a Associate Professor with a completed PhD or its equivalent, fellowship as Conservationist, serving in reputed research institute. (v) Expert for Toxicologist (One): Should be at the level of a Associate Professor with a completed PhD or its equivalent, fellowship in Toxicology, serving in reputed research institute.
3	Environmental Engineer	--	By Promotion At least Nine years' service as Assistant Environmental Engineer in the Board having qualifications of Regular full time degree of Bachelor in Engineering. By Deputation Masters in Engineering in first division in Civil/Chemical/ Environmental Engineering with at least Seven years' experience in the Central Pollution Control Board or any equivalent post in Government. OR Regular full time Bachelor in Engineering in first division in Civil/Environmental/Chemical Engineering with at least Nine years experience in the Central Pollution Control Board or any equivalent post in Government.
4	Scientist- C	--	By Promotion At least Nine years' service in the Board as Scientist B having minimum M.Sc. qualification. By Deputation Ph.D in Chemistry/ Environmental Science (with Degree in Science) / Microbiology/ Biochemistry/ with Seven years' experience in

Sr. No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
			the Central Pollution Control Board or any equivalent post in Government. OR M.Sc. in Chemistry/Environmental Science/ Microbiology/Biochemistry/Bio Technology / Degree in Chemical Engineering in first division with atleast Nine years' service in the Central Pollution Control Board or in Government.
5.	District Attorney		As applicable in the parent Department
6.	Development Team Leader	--	<u>By Deputation</u> (i) At least ten years experience in the software development stream with at least four years experience in the capacity of a senior software developer. OR (ii) BCA, B.SC (IT/Computer Science/ Applications / Electronics & Communication) from a recognized University or Institution with minimum 60% marks : AND (iii) At least fourteen years past experience out of which four years at the level of a Senior Software Developer or equivalent. (Relaxation shall be given to incumbents being engaged on consulting basis). (iv) At least Fourteen years past experience out of which four years at the level of a Senior Software Developer or equivalent. Note: As an exception, candidate(s) having qualifications in any other discipline with experience as mentioned above may also be considered for the post. Preference shall be given to those candidates who have higher qualifications and advance certifications as mentioned in Annexure "B".
GROUP-B			
7.	Senior Account Officer	As applicable in the parent Department	By Deputation As applicable in the parent Department
8.	Account Officer	As applicable in the parent Department	By Deputation As applicable in the parent Department

Sr. No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
9.	Administrative Officer	--	By Promotion Superintendent/ Private Secretary with Three years experience seniority of Superintendent and Private Secretary will be determined on the basis of length of service on the post. By Deputation On deputation from the cadre of Haryana Secretariat Services equivalent to Superintendent with Three years experience.
10.	Deputy District Attorney		By Deputation As applicable in the parent Department
11	Scientist B	M. Sc. in first division in the Chemistry / Biotechnology/ Micro-Biology / Bio- Chemistry / Environmental Sciences (with Bachelor Degree in Science).	By Promotion With at least five years' service as Senior Scientific Assistant in the Board. By Deputation M. Sc. in first division in Chemistry/ Environmental Sciences (with degree in Science) / Botany / Micro-Biology / Bio-Chemistry or degree in Chemical Engineering.
12	Assistant Environmental Engineer	Full time regular Degree in Engineering in first division in Civil/Chemical/Environmental Engineering.	By Promotion Eight years' service in the Board as Junior Environmental Engineer By Deputation Bachelor in Engineering in first division in Civil / Chemical / Environmental Engineering from recognized university/institute working on equivalent post in any Department of State Government.
13	Software Developer	(i) B.E/B.-Tech (IT / Computer Science/ Electronics & Communications) or MCA or M.Sc. (IT/Computer Science / Applications / Electronics & Communications) from a recognized University or Institution with minimum 60% marks AND (ii) BCA, BSC (IT/Computer Science/ Application/Electronics & Communications) from a recognized University or Institution with minimum 60% marks	By Promotion (i) At least Three years experience in the software development stream in the capacity of a Junior software developer. (ii) At least Seven years past experience (external experience). (Relaxation shall be given to incumbents being engaged on consulting basis). Note: As an exception, candidate(s) having qualifications in any other discipline with experience as mentioned above may also be considered for the post. Preference shall be

Sr. No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
		Note: As an exception, candidate(s) having qualifications in any other discipline with experience as mentioned above may also be considered for the post. Preference shall be given to those candidates who have higher qualifications and advance level certification.	given to those candidates who have higher qualifications and advance level certification.
14.	Tehsildar	As applicable in the parent Department	By Deputation As applicable in the parent Department
15	Superintendent	--	By Promotion (i) Two years' service as Deputy Superintendent in the Board or Nine years experience as Deputy Superintendent and Assistant/ Accountant/ By Deputation (i) Two years' experience as Deputy Superintendent. OR Nine years experience as Assistant/ Accountant.
16	Private Secretary	-----	By Promotion Two years' experience as Personal Assistant. By Deputation Two years' experience as Personal Assistant.
17.	Assistant District Attorney	As applicable in the parent Department	By Deputation As applicable in the parent Department
18.	Junior Software Developer	B.E/B-Tech (IT/ Computer Science/ Electronics & Communications) or MCA or M.Sc. (IT/Computer Science/ Applications/Electronics & Communications from a recognized University or institution with minimum 60% marks and (Relaxation shall be given to incumbents being engaged consulting basis). Note:- As an exception, candidates having qualifications in any other discipline with experience as mentioned above may also be considered for the post. Preference shall be given to those candidate who have higher qualification and advance level certifications as mentioned.	By Deputation Two years services on the post

Sr. No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
GROUP-C			
19.	Section Officer (Account)	As applicable in the parent Department	By Deputation As applicable in the parent Department
20	Deputy Superintendent	---	By promotion Seven year's experience as Accountant/ Assistant/ in the Board. By Deputation Seven years' experience as Assistant/ Accountant in any department of Government of Haryana.
21.	Personal Assistant	---	By Promotion Five years' experience as Senior Scale Stenographer By Deputation Five years experience as senior scale stenographer
22.	Senior Scientific Assistant	M.Sc. in the Chemistry / Environmental Sciences (with degree in Science) / Micro-Biology/Biochemistry/Bio-technology Or B. Sc. in first division with one year experience in the lab engaged in Environmental Investigation, Testing or Analysis.	By Promotion Five years' service in the Board as Junior Scientific Assistant By Deputation M. Sc. in the Chemistry/Environmental Sciences (with degree in Science)/Micro-Biology/Biochemistry/ Biotechnology Or B. Sc. in first division with one year experience in the lab engaged in Environmental Investigation, Testing or Analysis.
23.	Junior Environmental Engineer	Three years Diploma in first division in Civil/ Chemical / Environmental Engineering.	By Deputation Three years' Diploma in first division in Civil / Environmental/Chemical Engineering. By Transfer Three years Diploma in First Division in Civil/ Chemical/ Environmental Engineering with at least Three years of service with unblemished record.
24	Statistical Assistant	Graduate in Economics or Statistics or Mathematics or Commerce with Statistics as one of the elective subjects with 3 years experience in collection, compilation, analysis of statistical data in the Government.	By Deputation Graduate in Economics or Statistics or Mathematics or Commerce with Statistics as one of the elective subjects with Three years' experience in collection, compilation, analysis of statistical data in any department of Government/ institute of repute.

Sr. No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
25.	Junior Scientific Assistant	B. Sc. first division with Chemistry as one of the subjects.	By Deputation B. Sc. in 1 st division with Chemistry as one of the subjects.
26.	Assistant	--	By Promotion Five years' experience as Clerk/Stenotypist/Accounts Clerk in the Board. By Deputation Five years' experience as Clerk.
27	Accountant	M. Com. Second Division OR B. Com. First Division with Two years experience in Commercial Accounting.	By Promotion B. Com. with Three years experience in the Board as Accounts Clerk/Clerk. By Deputation M. Com. second division or B. Com. first division with Two years experience in the Commercial Accounting in Government.
28	Senior Scale Stenographer	---	By Promotion Three years service in the Board as Junior Scale Stenographer with English Shorthand at a speed of 100 words per minute and transcription at a speed of 20 words per minute and mistakes should not exceed 4% and Hindi Shorthand at a speed of 80 words per minute and transcription at a speed of Fifteen words per minute and mistakes should not exceed 4%. By Deputation (i) Graduate in any discipline from a recognized university. (ii) English Shorthand at a speed of 100 words per minute and transcription at a speed of 20 words per minute and mistakes should not exceed 4% and Hindi Shorthand at a speed of 80 words per minute and transcription at a speed of fifteen words per minute and mistakes should not exceed 4%. (iii) Should pass State Eligibility Test in Computer Application as per instructions issued by Chief Secretary to Govt. of Haryana vide letter No. 42/164/2008-3GS-II dated 11.10.2013 and amended from time to time.
29.	Driver	Matric having driving license of light transport vehicle/heavy transport vehicle with Five years' experience.	By Deputation Matric having Driving License of light transport vehicle/heavy transport vehicle with Five years' experience.

Sr. No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
30	Junior Scale Stenographer	i. 10+2 ii. English Shorthand at a speed of 100 words per minute and transcription at a speed of 20 words per minute and Hindi Shorthand at a speed of 80 words per minutes and transcription at a speed of 15 words per minutes and mistakes should not exceed 4% iii. Should pass State Eligibility Test in Computer Application as per instructions issued by Chief Secretary to Govt. of Haryana vide letter No. 42/164/2008-3GS-II dated 11.10.2013 and amended from time to time. iv. Should pass State Eligibility Test in Computer Application as per instructions issued by Chief Secretary to Govt. of Haryana vide letter No. 42/164/2008-3GS-II dated 11.10.2013 and amended from time to time.	By Promotion i. Five years' service in the Board as Steno-typist having minimum speed of 100 words per minute in English and 80 words per minute in Hindi Shorthand and transcription thereof @ 20 words per minute in English and 15 words per minute in Hindi respectively. ii. Should pass State Eligibility Test in Computer Application as per instructions issued by Chief Secretary to Govt. of Haryana vide letter No. 42/164/2008-3GS-II dated 11.10.2013 and as amended from time to time. By Deputation i. Graduate in any discipline from a recognized university. ii. English Shorthand at a speed of 100 words per minute and transcription at a speed of 20 words per minute and mistakes should not exceed 4% and Hindi Shorthand at a speed of 80 words per minute and transcription at a speed of 15 words per minute and mistakes should not exceed 4%. iii. Should pass State Eligibility Test in Computer Application as per instructions issued by Chief Secretary to Govt. of Haryana vide letter No. 42/164/2008-3GS-II dated 11.10.2013 and as amended from time to time.
31	Accounts Clerk	-----	By Promotion B. Com. with three years' service in the Board as Clerk. By Deputation B. Com. with second division with three years experience.
32	Steno-typist	(i) 10+2. (ii) English Shorthand at a speed of 80 words per minute and transcription at a speed of 15 words per minute and mistakes should not exceed 8% and Hindi Shorthand at a speed of 64 words per minute and transcription at a speed of 11 words per minute and mistakes should not exceed 8%. (iii) Should pass State Eligibility Test in Computer Application as per instructions issued by Chief	By Promotion (i) One year regular service as Clerk with a minimum speed of 80 wpm in English Shorthand and transcription thereof at speed of 15 words per minute and mistakes should not exceed 8% and Hindi Shorthand at a speed of 64 wpm and transcription at a speed of 11 words per minute and mistakes should not exceed 8%. (ii) Should pass State Eligibility Test in Computer Application as per instructions issued by Chief Secretary to Govt. of

Sr. No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
		Secretary to Govt. of Haryana vide letter No. 42/164/2008-3GS-II dated 11.10.2013 and amended from time to time.	Haryana vide letter No. 42/164/2008-3GS-II dated 11.10.2013 and as amended from time to time. By Deputation i. Graduate in any discipline from a recognized University. ii. English Shorthand at a speed of 80 wpm and transcription at a speed of 15 words per minute and mistakes should not exceed 8% and Hindi Shorthand at a speed of 64 wpm and transcription at a speed of 11 words per minute and mistakes should not exceed 8%. iii. Should pass State Eligibility Test in Computer Application as per instructions issued by Chief Secretary to Govt. of Haryana vide letter No. 42/164/2008-3GS-II dated 11.10.2013 and as amended from time to time.
33	Clerk	(i) 10+2. (ii) Should pass State Eligibility Test in Computer Application as per instructions issued by Chief Secretary to Govt. of Haryana vide letter No. 42/164/2008-3GS-II dated 11.10.2013 and amended from time to time.	By Promotion i. 10+2 with five years service as group C having lesser scale or group D employees ii. Should pass State Eligibility Test in Computer Application as per instructions issued by Chief Secretary to Govt. of Haryana vide letter No. 42/164/2008-3GS-II dated 11.10.2013 and amended from time to time. By Deputation Matric first division/ intermediate/ 10+2 second division 10+2 (Vocational)/ Graduate with five years services as Group C employee. Should have passed SETC test from HARTRON.
34.	Laboratory Attendant	Matric with Science (Physics and Chemistry) having knowledge of Hindi or Sanskrit upto Matric standard.	By Promotion Three years' experience as Group D employee of the Board possessing Matric standard qualification with Science and Hindi or Sanskrit. By Deputation Matric with Science (Physics and Chemistry) having knowledge of Hindi or Sanskrit upto Matric standard.

Sr. No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
GROUP -D			
35.	Senior Peon	---	By Promotion Five years' regular service as Peon. By Deputation Matric pass certificate from the Board of School Education recognized by Haryana Government with Seven Years of regular Service in Government or Government undertaking.
36.	Daftri	---	By Promotion Five years' regular service as Peon/Mali-cum-Chowkidar. By Deputation Matric pass certificate from the Board of School Education recognized by Haryana Government.
37	Peon	Matriculation from recognized Board.	By Deputation Matric pass certificate from the Board of School Education recognized by Haryana Government.
38.	Field Attendant	Matriculation from recognized Board.	By Deputation Matric pass certificate from the Board of School Education recognized by Haryana Government.

NOTE:

- (i) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education is essential for all the above mentioned post of direct recruitment.
- (ii) The experience prescribed for various posts in these regulations will be counted only after acquiring essential qualifications for respective post.

APPENDIX C
[See regulation 15 (1)]

Sr. No.	Designation	Appointing Authority	Name of Penalty	Authority Empowered to imposed Penalty	Appellate Authority	Second Appellate Authority
1	2	3	4	5	6	7
GROUP- A						
1.	Senior Environmental Engineer	Chairman	1. Major Penalties	Chairman	Government	–
			2. Minor Penalties -	Member Secretary	Chairman	Government.
2	Senior Scientist	Chairman	1. Major Penalties	Chairman	Government	–
			2. Minor Penalties	Member Secretary	Chairman	Government.
3.	Environmental Engineer	Chairman	1. Major Penalties	Chairman	Government	–
			2. Minor Penalties	Member Secretary	Chairman	Government
4.	Scientist C	Chairman	1. Major Penalties	Chairman	Government	–
			2. Minor Penalties	Member Secretary	Chairman	Government
5.	Development Team Leader	Chairman	1. Major Penalties	Chairman	Government	–
			2. Minor Penalties	Member Secretary	Chairman	Government
Group B						
6.	Administrative Officer	Member Secretary	1. Major Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government
			2. Minor Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government
7.	Scientist -B	Member Secretary	1. Major Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government
			2. Minor Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government
8.	Assistant Environmental Engineer	Member Secretary	1. Major Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government
			2. Minor Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government
9.	Software Developer	Member Secretary	1. Major Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government
			2. Minor Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government

10	Superintendent	Member Secretary	1. Major Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government
			2. Minor Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government
11	Private secretary	Member Secretary	1. Major Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government
			2. Minor Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government
12	Junior Software Developer	Member Secretary	1. Major Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government
			2. Minor Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government
Group C						
13.	Deputy Superintendent	Member Secretary	Major and Minor Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government
14	Personal Assistant	Member Secretary	Major and Minor Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government
15	Senior Scientist Assistant	Member Secretary	Major and Minor Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government
16	Junior Environmental Engineer	Member Secretary	Major and Minor Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government
17	Statistical Assistant	Member Secretary	Major and Minor Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government
18	Junior Scientist Assistant	Member Secretary	Major and Minor Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government
19	Assistant	Member Secretary	Major and Minor Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government
20	Accountant	Member Secretary	Major and Minor Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government
21	Senior Scale Stenographer	Member Secretary	Major and Minor Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government
22	Driver	Member Secretary	Major and Minor Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government
23	Junior Scale Stenographer	Member Secretary	Major and Minor Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government
24	Account Clerk	Member Secretary	Major and Minor Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government
25	Steno -Typist	Member Secretary	Major and Minor Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government
26	Clerk	Member Secretary	Major and Minor Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government
27	Laboratory Attendant	Member Secretary	Major and Minor Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government

Group D						
28.	Senior Peon	Member Secretary	Major and Minor Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government
29.	Dafti	Member Secretary	Major and Minor Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government
30.	Peon	Member Secretary	Major and Minor Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government
31.	Field Attendant	Member Secretary	Major and Minor Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government
32.	Mali-cum-Chowkidar	Member Secretary	Major and Minor Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government
33.	Sweeper	Member Secretary	Major and Minor Penalties	Member-Secretary	Chairman	Government

NOTE:

1. The Major & Minor Penalties for all posts shall be as per Rule-4 of the Haryana Civil Services (Punishment & Appeal) Rules, 2016.
2. In case of officers/Officials on deputation competent authority for Punishment & Appeal shall be as applicable in the parent Department

DEEPTI UMASHANKAR,
Chairperson,
Haryana State Pollution Control Board.

DHEERA KHANDELWAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Environment and Climate Change Department.